फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री अर्जून सिंह पिता फतहसिंह सोलंकी, नि0 107, केवल कोम्पलेक्स, नयागावॅ, डिंडौली रोड, उधना, सूरत, गुजरात

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 48 / 2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.12.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक :– सू.का अधि0 / अपील / 2020–21 / 4749 दिनांक 24.11.2021 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री अजूर्न सिंह पिता फतहसिंह सोलंकी का आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 29.09.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा आवेदन से जो 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई हैं। जिसमें बिन्दु संख्या 1 की सूचना विकास अधिकारी कुम्भलगढ से सम्बन्धित होने से उपरोक्त सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक / रसद / सू.का अधि0 / 2020–21 / 4532–33 दिनांक 04.10.2021 से निर्धारित अवधि में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी का आवेदन पत्र से संलग्न किया जाकर प्रार्थी को पत्र रजिस्टर्ड करवाया गया हैं। बिन्दु सं. 2 की सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुम्भलगढ़ से संबंधित होने से चाही गई सूचना निर्धारित अवधी में प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक / रसद / सू.का अधि0 / 2020–21 / 4531 दिनांक 04.10.2021 से रजिस्टर्ड भिजवाया गया हैं। बिन्दु सं. 3 की सूचना में राज्य सरकार के नियमों के तहत उचित मूल्य दुकानदार एक वित्तीय वर्ष के उचित मूल्य दुकानों के वितरण रजिस्टर आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तक अपने व्यापार परिसर में सुरक्षित रखेंगे। तत्पश्चात सुनिश्चित प्रक्रिया अपना कर उनको निरस्त करने की कार्यवाही की जावे के आदेश होने से आवेदक द्वारा चाही गई अवधि के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाना संभव नही हैं। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 की आदेश प्रति इस कार्यालय के पत्रांक / रसद / सू.का अधि0 / 2020–21 / 4532–33 दिनांक 04.10.2021 से प्रार्थी के पत्ते पर रजिस्टर्ड करवाया गया हैं। प्रार्थी का आवेदन दिनांक 29.09.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त होने से प्रार्थी को आर.टी.आई. की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक / रसद / सू.का अधि0 / सूचना / 2020–21	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

/4531–33 दिनांक 04.10.2021 को ही तीनो पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुम्भलगढ़ एवं विकास अधिकारी कुम्भलगढ एवं प्रार्थी को निर्धारित अवधि में पत्र रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी जा चुकि हैं।

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को बिन्दु सं0 3 की वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवायी जा चुकि हैं। शेष बिन्दु संख्या 1 की सूचना विकास अधिकारी कुम्भलगढ एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुम्भलगढ़ से संबंधित होने से उसे नियत समयावधि से संबंधित को अंतरण कर प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)